फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी
दरजाराम पुत्र श्री हमीराराम
जाति भील नि. पालडी हाल वाडेली
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा,
राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 113/2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
–12–24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री गोविंद राणा व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2024/1230 दिनांक 29–11–2024 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार मौजा पीपलकी के खाता सं. 13 खसरा संख्या 272 व 273 रकबा क्रमशः 0.01 है0 व 2.42 है0 में सपाराम पुत्र हमीराराम दर्ज है जो असंगत व गलत है। प्रार्थी का सही नाम दरजाराम ही है। सपाराम व दरजाराम एक ही व्यक्ति है । अतः मौजा पीपलकी के खाता सं. 13 खसरा संख्या 272 व 273 रकबा क्रमशः 0.01 है0 व 2.42 है0 में प्रार्थी का नाम सपाराम पुत्र हमीराराम गलत है। प्रार्थी का सही नाम दरजाराम पुत्र हमीराराम किया जाना उचित होना बताया है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा पीपलकी के खाता सं. 13 खसरा संख्या 272 व 273 रकबा क्रमशः 0.01 है0 व 2.42 है0 में प्रार्थी का गलत नाम सपाराम पुत्र हमीराराम के स्थान पर सही नाम दरजाराम पुत्र हमीराराम संशोधन कर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज०)	